## हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 26 नवम्बर, 2014

**संख्या का०आ० 119/ह०अ० 6/2003/धा० 59/2014.**—चूंकि, हरियाणा राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है।

अब, इसलिए, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) की धारा 59 की उप–धारा (1) के साथ पठित उक्त उप–धारा के परन्तुक (अधिसूचना संख्या लैज.39/2014, दिनांक 26 नवम्बर, 2014 द्वारा जोड़ा गया) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्व नोटिस की शर्त को अभिमुक्त करते हुए, तुरन्त प्रभाव से उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क तथा घ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

## संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,—

(i) अनुसूची क में, क्रम संख्या 4 के सामने, खाना 3 के नीचे, "8.8%" अंक तथा चिह्न के स्थान पर, "11.5%" अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; तथा

(ii) अनुसूची घ में, क्रम संख्या 3 के सामने, खाना 3 के नीचे, "8.8%" अंक तथा चिह्न के स्थान पर, "11.5%" अंक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

रोशन लाल
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।